न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—73/2011/225 (2011/00014)

1. डाली पत्नि भंवरलाल, जाति जाट, निवासी बुधवाड़ा, तहसील पीसांगन, जिला अजमेर ।

अपीलांट

बनाम

1. बरदा पुत्र स्व0 पूसा,
2. नानू पुत्र स्व0 पूसा,
3. चौथा पुत्र स्व0 पूसा,
4. ग्यारसी पुत्री स्व0 पूसा,
5. बिदामी पुत्री स्व0 पूसा,
   सभी जाति जाट, निवासी बुधवाड़ा, तह0 पीसांगन, जिला अजमेर ।
6. भंवरलाल पुत्र मगना,
7. रामचंद उर्फ रामचन्द्र पुत्र गंभीरा,
8. लाली पत्नि सूरजकरण,
   सभी जाति जाट, निवासी बुधवाड़ा, तह0 पीसांगन, जिला अजमेर ।
9. हरकरण पुत्र स्व0 चन्द्रा,
10. मिठूलाल पुत्र स्व0 चन्द्रा,
11. सांवरलाल पुत्र स्व0 चन्द्रा,
    सभी जाति जाट, निवासी रामपुरा डाबला, तहसील पीसांगन, जिला अजमेर ।
12. बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा भांवता ।
13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, पीसांगन ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध आदेश विद्वान उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन दिनांक 2.2.2011 अंतर्गत प्रकरण संख्या 11/2011.

उपस्थितः—

1. श्री पुष्पेन्द्रसिंह नरूका, वकील अपीलांट ।
2. श्री धनीराम ज्योतिस, वकील रेस्पो0 संख्या 1 से 5.
3. रेस्पो0 संख्या 6 से 12 अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांकः— 4.2.2021

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन के आदेश दिनांक 2.2.2011 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. प्रार्थीगण/रेस्पो0 संख्या 1 से 5 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद के साथ प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत विरूद्ध अपीलांट एवं शेष रेस्पो0 संख्या 6 से 13 के प्रस्तुत कर कथन किया कि विवादित आराजी खाता संख्या 437 कुल किता 10 रकबा 9.88 है0, खाता संख्या 441 कुल किता 2 रकबा 0.74 है0, खाता संख्या 436 कुल किता 2 रकबा 1.63 है0 वाके ग्राम बुधवाड़ा, तहसील पीसांगन की आराजियात रेस्पो0/प्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 की पुश्तैनी आराजी है

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

तथा रेस्पो0 संख्या 6 उसका सगा भाई है । खाता संख्या 437 में रेस्पो0 संख्या 1 से 5 एवं रेस्पो0 संख्या 6 का 1/4 हिस्सा एव मगना व रामकरण पुत्रान गंभीरा के हिस्से में से 1/2 हिस्सा व रामचन्द्र उर्फ रामचन्द्र का 1/2 हिस्सा व खाता संख्या 441 की आराजी में रेस्पो0 संख्या 1 से 5 व रेस्पो0 संख्या 6 का 3/92 हिस्सा व मगना व रामकरण पुत्रान गंभीरा के हिस्से में में से 1/2 हिस्सा रामचन्द्र उर्फ रामचन्द्र का 1/2 हिस्सा बनता है तथा खाता संख्या 436 की आराजी में रेस्पो0 संख्या 1 से 5 व रेस्पो0 संख्या 6 से 7 का मगना व रामकरण जो कि अविवाहित फौत हो गया है उनके उत्तराधिकार के रूप में 1/2, 1/2 हिस्सा बनता है । उक्त आराजी का न्यायिक बटवारा नहीं हुआ है, रेस्पो0 संख्या 6 ने जालसाजी कर मगना पुत्र गंभीरा की भूमि पर नामांतकरण संख्या 309 दिनांक 1.10.2007 के द्वारा राजस्व रिकार्ड में अपना नाम दर्ज करवा लिया जो निरस्तनीय है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थीगण/अपीलांट एवं शेष रेस्पो0 संख्या 5 से 12 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे । विद्वान अधी0न्याया0 ने अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 2.2.2011 द्वारा अप्रार्थीगण संख्या 1 से 5 को पाबंद करने के आदेश पारित किये । अधी0न्याया0 के इस अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा आदेश से व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

3. अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय क निर्णय न्याय, नियम एवं विधि के प्रतिकूल होने से निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 ने यह नहीं देखने में कानूनी भूल की है कि अपीलांट वादग्रस्त आराजी में 1/4 हिस्से की रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है एवं अपने हिस्से की भूमि पर बिना किसी व्यवधान के काबिज काश्त चली आ रही है फिर भी रिकार्ड का बिना अवलोकन किये एवं बिना अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पारित करने में त्रुटि कारित की है । अपीलांट विवादित आराजियात की रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है जिसके विरूद्ध किसी भी प्रकार की अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा बिना सुनवाई का अवसर दिये जारी नहीं की जा सकती है । अपीलांट ने विवादित भूमि रेस्पो0 संख्या 7 से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय कर कब्जा प्राप्त किया है एवं अपीलांट अपने हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त है । रेस्पो0 संख्या 1 से 5 का अपीलांट के हिस्से की भूमि पर कोई कब्जा काश्त नहीं हैं । अपीलांट वादग्रस्त भूमि का संयुक्त खातेदार काश्तकार है । यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि संयुक्त खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है । अधी0न्याया0 ने इन समस्त तथ्यों को नजरअंदाज कर रिकार्डेड खातेदार काश्तकार को अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करने मे त्रुटि कारित की है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का आदेश निरस्त किया जावे ।

5. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 से 5 ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय विधिसम्मत् है । अधी0न्याया0 द्वारा प्रार्थना पत्र में अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश पारित किया गया है न कि अंतिम आदेश । अधी0न्याया0 का आदेश अंतरिम आदेश होने से अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील संधारण योग्य नहीं है । अपीलांट ने जो ऐतराज अपील के माध्यम से उठाये है वे अधी0न्याया0 के समक्ष अपने जवाब के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते थे । यदि वाद एवं प्रार्थना पत्र के विचाराधीन रहते विवादित आराजी का बेचान आदि होता है तो अपूर्णीय क्षति रेस्पो0 को होने की संभावना को ध्यान में रखकर अधी0न्याया0 ने अपीलांट को

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

प्रार्थना पत्र के जवाब तक अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया है जो विधिसम्मत् आदेश है । अतः अपील अपीलांट निरस्त की जावे ।

6. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । अधी0न्याया0 के आदेश दिनांक 2.2.2011 के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधी0न्याया0 के समक्ष रेस्पो0 संख्या 1/प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 212 राज0काश्त0अधि0 पेश किये जाने पर अधी0न्याया0 ने दिनांक 2.2.2011 को प्रार्थीगण की एकपक्षीय बहस सुनकर अप्रार्थीगण संख्या 1 से 5 को जरिये अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा से आगामी पेशी तक इस कदर पाबंद किया है कि वे विवादित आराजी का बेचान आदि ना करे तथा प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में दखलदांजी नही करे । अप्रार्थीगण अपना जवाब दिनांक 28.2.2011 को पेश करे कि क्यों न उक्त आदेश को ताफैसला मूल वाद के कन्फर्म कर दिया जावे । अधी0न्याया0 द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश अंतरिम आदेश है ना कि अंतिम आदेश । पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि धारा 212 राज0काश्त0अधि0 का प्रार्थना पत्र अधी0न्याया0 के समक्ष लगभग 9 वर्षो से विचाराधीन है । अपीलांट ने अपील में जो ऐतराज उठाये वे अधी0न्याया0 के समक्ष उपस्थित होकर जवाब प्रार्थना पत्र के माध्यम से पेश कर सकते थे । माननीय राजस्व मण्डल ने आर0आर0डी0 2014 नंत 345 पर रिवीजन जगदीश प्रसाद बनाम भोपालराम एवं अन्य में पारित निर्णय में के पैरा संख्या 78 (2) में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि " The Appellate Courts have no jurisidiction to entertain appeals against such ad-interim ex-parte orders which are effective only till next date of hearing and have been passed under Rule 3 and 3 A of Order 39 of the Code or where there is no order of the trial court on the application of temporary injunction or appointment of receiver. " उक्त न्यायिक दृष्टांत के परिपेक्ष्य में हस्तगत अपील अंतरिम आदेश के विरूद्ध होने से संधारण योग्य नहीं पाई जाती है । हम न्यायहित में पक्षकारान के समय तथा आर्थिक व्ययता को ध्यान में रखते हुए हम अपील को इसी स्तर पर निर्णित कर प्रकरण अधी0न्याया0 को इस आशय से प्रतिप्रेषित करना उचित समझते है कि वे प्रार्थना पत्र धारा 212 राज0काश्त0अधि0 का उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर गुणावगुण पर आवश्यक रूप से 30 दिवस में निस्तारण करे ।

7. अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर प्रार्थना पत्र धारा 212 राज0काश्त0अधि0 1955 का एक माह में आवश्यक रूप से निस्तारण करे । निर्णय की प्रति अधी0न्याया0 को पृथक से प्रेषित की जावे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 4.2.2021 मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर